(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1290–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–07–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–958/अपील/09–10

.....

1– लालजी सिंह तनय इन्द्रजीत सिंह

2– बाबूलाल सिंह तनय इन्दजीत सिंह

3– मंगलेश्वर सिंह तनय इन्दजीत सिंह

4– उर्मिला सिंह तनय इन्दजीत सिंह

5– ज्ञानेन्द्र सिंह तनय इन्दजीत सिंह

सभी निवासी–ग्राम हदिहा थाना व तहसील–चुरहट

जिला–सिधी, म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजबहादुर सिंह तनय जयप्रकाश सिंह (मृतक) वारिसान–

1. रानी देवी पत्नी राजबहादुर
2. कु0 ऊबी सिंह तनय राजबहादुर
3. पायल सिंह तनय राजबहादुर
4. विक्की सिंह तनय राजबहादुर
5. बोबी सिंह तनय राजबहादुर

समस्त निवासी–ग्राम डढ़िया तहसील चुरहट, जिला–सीधी, म0प्र0

2– तेजबहादुर सिंह तनय जयप्रकाश सिंह

3– सुषमा सिंह पत्नी शिवबहादुर सिंह

4– सोनिया सिंह पत्नी साहब सिंह

5– सरोज सिंह पुत्री इन्द्रजीत सिंह

सभी निवासी–ग्राम डढ़िया, तहसील चुरहट, जिला–सीधी, म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री सुनील जदौन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 से 3
श्री लाखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 4 व 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 958/अपील/09–10 पारित आदेश दिनांक 25–07–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम हर्दिहा तहसील चुरहट की विवादग्रस्त भूमि जिसका आराजियात कुल किता 71 जिसका जुज रकबा 27.64 हे0 के 1/2 भूमिसवामी स्व0 रूद्रदेव सिंह थे, जिन्होंने अपने स्वत्व धारण की कुल भूमि का रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 19.08.68 को आवेदकगण के पिता के नाम करा दिया था, जिसके अनुसार रूद्रदेव सिंह की मृत्यु के पूर्व दानपत्र ग्रहीता इन्द्रजीत की मृत्यु के पश्चात वारिसाना नामांतरण राजस्व निरीक्षक मण्डल चुरहट द्वारा दिनांक 11.10.75 को स्वीकार किया गया । दिनांक 11.10.75 के 34 वर्ष पश्चात अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई और साथ में विलंब क्षमा हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने प्रकरण क्रमांक 138/अपील/2008–09 दर्ज किया और अपने आदेश दिनांक 24.07.2010 से अपील ग्राह्य की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेकदगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में पेश की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 958/अपील/09–10 पंजीबद्ध किया गया तथा आदेश दिनांक 25–07–2011 से अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 25–07–2011 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि, विचारण न्यायालय आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति की ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी चरहट जिला–सीधी ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तत अपील दिनांक

10.06.2009 के विरूद्ध रा0नि0मं0 चुरहट के नामांतरण पंजी क्र0 5 में राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये प्रमाणीकरण दिनांक 11.10.1975 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पारित किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उनके समक्ष विचाराधीन द्वितीय अपील में विधि के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न अर्न्तवलित हैः–

1. क्या राजस्व निरीक्षक संहिता के अधीन कोई आदेश पारित कर सकता है?
2. क्या राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी के वर्ग में आता है?
3. क्या राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किसी आदेश की संहिता के अधीन अपील हो सकती है?

जहॉ तक प्रथम एवं द्वितीय बिन्दु का प्रश्न है उसके लिये पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विधिक स्थिति स्पष्ट की गई कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करता है, न कि संहिता की धारा 56 जो अध्याय 5 में निम्नानुसार हैः–

" 56 आदेश का अर्थान्वयन– इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो अभिव्यक्ति 'आदेश' से अभिप्रेत है उस विनिश्चिय की प्रारूपित अभिव्यक्ति जो कि यथास्थिति मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्या अधिनियमिति के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये किसी मामले के संबंध में किया गया हो । " उक्त उपबंध के अवलोकन मात्र से ही यह विधिक स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि आदेश उन्हीं विनिश्चयों की प्रारूपित अभिव्यक्ति को कहा जा सकता है, जो किसी राजस्व मण्डल अधिकारी द्वारा किया गया हो । राजस्व अधिकारी कौन होगा ? इस संबंध में संहिता का अध्याय –3 की धारा 11 में राजस्व अधिकारी के 12 वर्ग बताये गये है उक्त वर्गों में राजस्व निरीक्षक सम्मिलित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी के वर्ग में नहीं आता है । ऐसी स्थिति में जब राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी के वर्ग में ही नहीं आता है तब उसके द्वारा नामांतरण पंजी में किया गया प्रमाणीकरण आदेश नहीं हो सकता है । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि पुनरीक्षण याचिका में अभिकथित तीसरे बिन्दु का प्रश्न है, उसके लिये यह आवश्यक है कि कोई भी अपीलीय अधिकारिता अपीलीय न्यायालय द्वारा संहिता के अध्याय–5 की धारा 44 के अध्याधीन ही कर सकता है अन्यथा नहीं । संहिता की धारा 44 में जो

निम्नानुसार हैः— " 44 अपील तथा अपीलीय प्राधिकारी — (1) उस स्थिति को छोड़कर जहॉ अन्यथा उपबन्धित किया गया है, इस संबंध में संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश की अपील— (क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियां विनिहित हों या नहीं — उपखण्ड अधिकारी को होगी।" उक्त धारा के अवलोकन मात्र से ही यह विधिक स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि उपखण्ड अधिकारी सिर्फ ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील सुन सकता है जो उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया हो। उक्त तथ्यों की अनदेखी कर निश्चित रूप से उपखण्ड अधिकारी चुरहट एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा गंभीर विधिक त्रुटि की गई है । वर्णित तथ्यों के आलोक में यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व अधिकारियों के वर्ग में राजस्व निरीक्षक सम्मिलित नहीं है । ऐसी स्थिति में जब राजस्व निरीक्षक संहिता के प्रयोजन से राजस्व अधिकारी के वर्ग में ही नहीं आता है तब उसके द्वारा किया गय प्रमाणीकरण संहिता की धारा 56 के अनुसार आदेश नहीं है । इस कारण संहिता की अध्याय 5 के अधीन उसके प्रमाणीकरण के विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है । अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में अन्य गंभीर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटियॉ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा मृतक इन्द्रजीत सिंह का उनके स्वामित्व की भूमियों का नामांतरण कराने का जो आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसमें उनके सभी वारिसानों का नाम अंकित नहीं है। आवेदकगण द्वारा खनदानी सजरा में बिना इश्तहार जारी कराये ही मात्र रूद्रदेव सिंह के बयान के आधार पर इन्द्रजीत सिंह के मात्र पांच पुत्रों तथा पत्नी को उनके वारिस मौजूद होना मानकर नामांतरण आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण जो इन्द्रजीत सिंह के वैध वारिस है को सूचना एवं पक्षकार बनाये बिना ही नामांतरण की कार्यवाही की गई है। अनावेदकगण मृतक इन्द्रजीत सिंह की पुत्री लाला के वारिस है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत

स्व0 इन्द्रजीत सिंह की सम्पत्ति में उनके पुत्र एवं पत्नी के समान उनकी पुत्री लाला, सरोज सिंह व सोनिया का भी समान हक व हिस्सा बनता है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चुरहट द्वारा प्रकरण में आये सभी पहलूओं का विस्तृत विवेचना कर राजस्व निरीक्षक के अवैधानिक आदेश को निरस्त किया गया है जो विधिसंगत प्रतीत होता है। अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है।

6/ उपरोक्त विवचेना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 958/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2011 विधिनुकूल एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,